हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

17 अक्तूबर, 1988

सं० सा० का० नि० 77/संवि०/ अनुच्छेद 309/88.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्.—

भाग-I-सामान्य

1. ये नियम हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1988, कहे जा सकते है। संक्षिप्त नाम।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषा।

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग,

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नतियां भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो,

(ग) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार,

(घ) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय, या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में, पंजाब सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय, या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय घोषित किया गया हो,

(ङ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप ख) सेवा।

भाग-II सेवा में भर्ती

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताये गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पद नामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी। पदों की संख्या तथा स्वरूप।

सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्न लिखित न हो :—

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, युगांडा तथा तनजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मलावी, जायेर और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित हो कर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिस के पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शेक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र और दो ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हो किन्तु उसके वयक्तिगत जीवन में उससे भली-भांती परिचित हों और जो उसके विश्विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो आयोगा का आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से ठीक पहले की तिथि को इक्कीस वर्ष से कम और [1][पैंतीस वर्ष] से अधिक की आयु का हो।

नियुक्ति।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेंगी।

प्राधिकारी अर्हताएं।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से भिन्न भर्ती की दशा में, पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में निर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शरीरिक रूप से

---

1. संख्या सा. का. नि. 65/संवि./अनुच्छेद 309/91, दिनांक 1-10-91।

विकलांग उम्मीदवारों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिये लिखित रुप में कारण दिये जायेंगे।

निरहर्ताएं।

8. कोई भी व्यक्ति, —

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है, या विवाह की संविदा कर ली है; सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के आधार भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्न प्रकार से की जायेगी, —

(क) अनुदेशक, लेखा तथा विभागीय विनियम की दशा में वित्त विभाग हरियाणा के सहायक लेखाधिकारियों में से स्थानान्तरण द्वारा।

(ख) खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी/पशु मेला अधिकारी की दशा में,—

(i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, तथा

(ii) 50 प्रतिशत पदोन्ति द्वारा निम्नानुसार :—

(क) समाज शिक्षा तथा पंचायत अधिकारियों में से 33 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ;

(ख) खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारियों के कार्यालय में कार्य कर रहे मुख्य लिपकों में से $4^{1}/2$ प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ;

(ग) जिला विकास तथा पंचायत अधिकारियों के कार्यालय में कार्य कर रहे मुख्य लिपिकों में से 1 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा;

(घ) खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारियों के कार्यालय में कार्य कर रहे लेखाकारों में से 10 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा;

(ङ) जिला विकास तथा पंचायत अधिकारियों के कार्यालय में कार्य कर रहे लेखाकारों में से $1^{1}/_{2}$ प्रतिशत पदोन्नति द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ग) महिला परिमण्ल पर्यवेक्षकों की दशा में, —

(i) मुख्य सेविकाओं में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ड) अनुदेशक, शिक्षा विस्तार की दशा में, —

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(च) अनुदेशक, कृषि तथा फसल पालन की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(छ) अनुदेशक, पंचायती राज की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा है;

(ज) अनुदेशक पशुपालन की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(झ) अनुदेशिका गृह विज्ञान तथा विस्तार की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(2) सेवा में किसी भी पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी और कोई भी व्यक्ति केवल ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए हकदार नहीं होगा।

(3) ज्यों ही कोई रिक्ति हो या होने वाली हो, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, नियुक्ति प्राधिकारी यह निश्चित करेगा कि उसे किसी प्रकार से भरा जाएगा।

प्रशिक्षण।

10. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त प्रत्येक खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी/पशु मेला अधिकारी को निम्न प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा :—

(क) वह दो मास की अवधि तक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और उसे, खण्ड में स्वतन्त्र रूप से नियुक्त किये जाने से पहले, अपर खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा ताकि वह खण्ड के कार्य चालन को समझ सके;

(ख) वह अपने सेवाकाल के दौरान राज्य सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केन्द्र, नीलोखेड़ी में दो मास का प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

(ग) उसे विकास विभाग सम्बन्धी विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु 45 दिनों के लिए जिला विकास तथा पंचायत अधिकारी (उपायुक्त के कार्यालय) के साथ और राजस्व मामलों में, विशेषतया पंचायत भूमि के बारे, में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अन्य 15 दिनों के लिए जिला मुख्यालयों के तहसीलदारों के साथ भी लगाया जाएगा।

विभागीय परीक्षा।

11. (1) प्रत्येक खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी/पशु मेला अधिकारी सेवा में अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष के भीतर इन नियमों से उपाबद्ध परिशिष्ट ङ में यथानिर्दिष्ट विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करेगा।

(2) यदि कोई खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी/पशु मेला अधिकारी विभागीय परीक्षा दो वर्ष की विहित अवधि में उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी या उसे उसके पूर्व पद पर, यदि कोई हो, परिवर्तित कर दिया जाएगा :

परन्तु सरकार कारण लिखकर विभागीय परीक्षा पास करने की अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकती है :

परन्तु यह और कि सरकार किसी भी खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी/ पशु मेला अधिकारी को सम्पूर्ण परीक्षा या उसके किसी भाग को उत्तीर्ण करने से छूट दे सकती है।

(3) यदि कोई खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी/ पशु मेला अधिकारी अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो वह दो वेतन वृद्धियों का, उन सहित, जो उसने विभागीय परीक्षा पूरी होने के अन्तिम दिन के बाद की तिथि से, यदि कोई हो, पहले ही अर्जित कर ली थी ; हकदार होगा। वह तीसरी वेतन वद्धि प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(4) यदि खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी/ पशु मेला अधिकारी को उक्त परीक्षा पास करने की अवधि में बढ़ौतरी अनुज्ञात की जानी है तो उसकी उस अवधि के, जिसके भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की जानी है, पश्चातवर्ती अवधि के लिए अगली वेतन वृद्धि (वद्धियों) विभागीय परीक्षा पूरी होने के अन्तिम दिन के बाद की तिथि से ही दी जाएगी (जाएंगी)। वेतन वृद्धि भूतलक्षी प्रभाव से, जिस तिथि से वह अन्यथा देय थी, दी जाएगी (जाएंगी)। किन्तु बीती हुई अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा।

(5) यदि वह विभागीय परीक्षा या उसका कोई भाग उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, और उसे बाद में सरकार द्वारा विभागीय परीक्षा या उसके किसी भाग को, जैसी भी स्थिति हो, उत्तीर्ण करने से छूट दे दी जाती है, तो जिस अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की जानी थी, उसके बाद की अवधि के लिए उसे वेतन वृद्धि (वृद्धियां) उस तिथि से दी जाएगी (जाएंगी) जिससे ऐसी छूट दी गई हो। वेतन वृद्धि उसे भूतलक्षी प्रभाव से, जिस तिथि से वह अन्यथा देय थी, दी जाएगी, किन्तु बीती हुई अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा।

(6) आगे की वेतन वृद्धि (वृद्धियां) उसे उस तिथि से, जिस तिथि से अन्यथा देय होगी (होंगी) सामान्यतः अनुज्ञेय होगी (होंगी)।

परिवीक्षा।

12. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की और गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की निर्धारित विहित अवधि के पूरा होने पर यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पृष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो, तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है, या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पृष्ट कर सकता है,

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है, या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है, या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें, या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता।

13. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी:

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हैं, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिए ज्येष्ठता पृथक रूप से निश्चित की जाएगी:

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यता क्रम को भंग नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में, ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरण किए गए थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य आयु में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

14. (1) सेवा का कोई सदस्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है , —

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय:

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय की सेवा के अधीन प्रतिनियुक्ति नहीं किया जाएगा।

छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले।

15. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाएं या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाये जाए।

अनुशासन, शास्तियां या अपीलें।

16. (1) अनुशासन, शक्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा शासित होंगे,

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशस्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के सविंधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट "ग" में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट "घ" में विनिर्दिष्ट है।

17. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा निदेश करे, टीका लगवाएगा तथा पुनः टीका लगवाएगा। — टीका लगवाना।

18. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्टा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी। — राजनिष्ठा की शपथ।

19. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपब्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिख कर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है। — ढील देने की शक्ति।

20. इन नियमों में दी किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझें, तो ऐसा कर सकता है। — विशेष उपबन्ध।

21. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगी: — आरक्षण।

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

22. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा निरसित किया जाता है : — निरसन तथा व्यावृति।

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया अथवा की गई समझी जाएगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	अनुदेशक, लेखा तथा विभागीय विनियम	:	1	1	2,000—60—2,300—दo रोधः—75—3,200 रुपये
2.	खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी/ पशु मेला अधिकारी	81	23	104	1,640—60—2,600—दo रोधः—75—2,900 रुपये
3.	महिला परिमण्डल पर्यवेक्षक	4	:	4	1,640—60—2,600—दo रोधः—75—2,900 रुपये
4.	अनुसंधान अधिकारी	1	:	1	1,640—60—2,600—दo रोधः—75—2,900 रुपये
5.	अनुदेशक, शिक्षा विस्तार	:	1	1	1,640—60—2,600—दo रोधः—75—2,900 रुपये
6.	अनुदेशक, कृषि तथा फसल पालन	:	1	1	1,640—60—2,600—दo रोधः—75—2,900 रुपये
7.	अनुदेशक, पंचायती राज	:	2	2	1,640—60—2,600—दo रोधः—75—2,900 रुपये
8.	अनुदेशक, पशुपालन	:	1	1	1,640—60—2,600—दo रोधः—75—2,900 रुपये
9.	अनुदेशिका, गृह विज्ञान तथा विस्तार	:	1	1	1,640—60—2,600—दo रोधः—75—2,900 रुपये

परिशिष्ट "ख"

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो	नियुक्ति अन्यथा अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	अनुदेशक, लेखा तथा विभागीय विनियम		(i) स्नातक (ii) सहायक लेखाधिकारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।
2.	खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी/ पशु मेला अधिकारी	पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली 1930, में यथाविनिर्दिष्ट प्रतियोगी परीक्षा द्वारा।	(i) स्नातक (ii) समाज शिक्षा तथा पंचायत अधिकारी या प्रधान लिपिक या लेखाकार के रूप में दस वर्ष का अनुभव। (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
3.	महिला परिमण्डल पर्यवेक्षक	. .	(i) मुख्य सेविका के रूप में पांच वर्ष का अनुभव (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान
4.	अनुसंधान अधिकारी	. .	(i) अन्वेषक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
5.	अनुदेशक, शिक्षा विस्तार	(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का एम०एस०सी० या कृषि या एम०एस०सी० पशुपालन या एम०बी०एस०सी०	(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का एस०एस०सी० कृषि या एम०एस०सी० पशुपालन या एम०बी०एस०सी०
		(ii) विस्तार शिक्षा में अध्यापन या अनुसंधान या क्षेत्र-कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।	(ii) विस्तार शिक्षा में अध्यापन या अनुसंधान या क्षेत्र-कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।
		(iii) ग्रामीण पृष्ठभूमि (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	(iii) ग्रामीण पृष्ठभूमि (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।

1	2	3	4
6.	अनुदेशक, कृषि तथा फसल पालन	(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का एम०एस०सी० कृषि।	(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का एम०एस०सी० कृषि।
		(ii) कृषि विज्ञान में अध्यापन/ अनुसंधान/विस्तार का अनुभव	(ii) कृषि विज्ञान में अध्यापन/अनुसंधान/ विस्तार का तीन वर्ष का अनुभव।
		(iii) ग्रामीण पृष्ठभूमि	(iii) ग्रामीण पृष्ठभूमि
		(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	(iv) मेट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
7.	अनुदेशक, पंचायती राज	(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक ;	(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक;
		(ii) सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज संस्थाओं में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव ;	(ii) सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज संस्थाओं का तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव ;
		(iii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ;	(iii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ;
		(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
		टिप्पणी :— ऐसे उम्मीदवारों को, जो मैट्रिक स्तर तक हिन्दी की अर्हता का दावा करते हैं किन्तु उनके पास इसके समर्थन के लिए कोई प्रमाण पत्र नहीं है, साक्षात्कार से पहले आयोग द्वारा संचालित हिन्दी की परीक्षा पास करनी होगी।	
8.	अनुदेशक, पशुपालन	(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का एस०एस०सी० पशुपालन अथवा एम०एस०सी० अथवा एम०बी०एस०सी० कृषि ;	(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का एस०एस०सी० पशुपालन या एम०एस०सी० अथवा एम०एस०सी०, कृषि ;
		(ii) पशुपालन में अध्यापन या अनुसंधान या विस्तार का तीन वर्ष का अनुभव ;	(ii) पशुपालन में अध्यापन या अनुसंधान या विस्तार का तीन वर्ष का अनुभव ;

1	2	3	4
		(iii) ग्रामीण पृष्ठ भूमि ;	(iii) ग्रामीण पृष्ठ भूमि ;
		(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान	(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान
9.	अनुदेशका,गृह विज्ञान तथा विस्तार	(i) मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय का एम०एस०सी० (गृह विज्ञान)	(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का एम.एस. सी. (ग्रह विज्ञान) ;
		(ii) तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव ;	(ii) तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव ;
		(iii) ग्रामीण पृष्ठ भूमि,	(iii) ग्रामीण पृष्ठ भूमि ;
		(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान	(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान
		टिप्पणी:— ऐसे व्यक्तियों को अधिमान दिया जायेगा जिन्हें अध्यापन का पांच वर्ष का अनुभव हो।	

परिशिष्ट-ग

[देखिये नियम 16 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगा के लिए सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	अनुदेशक, लेखा तथा विभागीय विनियम	सरकार	(i) छोटी शास्तियां (क) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी	सरकार
2.	खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी/ पशु मेला अधिकारी		(ख) परिनिन्दा (ग) पदोन्नति रोकना (घ) अपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा हुई किसी धन सम्बन्धी पूरी हानि का या उसके भाग की वेतन से वसूली	
3.	महिला परिमण्डल पर्यवेक्षक		(ड) वेतन वृद्धियां रोकना। (ii) बड़ी शास्तियां— (च) समयमान में निरन्तर प्रकम पर अवनति,	
4.	अनुसंधान अधिकारी		(छ) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर अवनति	
5.	अनुदेशक, शिक्षा विस्तार		(ज) अनिवार्य सेवा-निवृति	
6.	अनुदेशक, कृषि तथा फसल पालन		(झ) सेवा से हटाया जाना जो भावी नियोजन के लिए निरर्हित नहीं करता,	
7.	अनुदेशक, पंचायती राज		(ञ) सेवा से पदच्युति, जो भावी नियोजन के लिए सामान्यत: निरर्हित करती है।	
8.	अनुदेशक, पशुपालन			
9.	अनुदेशिका, गृह विज्ञान तथा विस्तार			

(टिप्पणी :- उपर्युक्त शास्तियां हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियमावली 1987 के नियम 4 के उप नियम (1) में यथा -परिभाषित के अनुसार होंगी।

परिशिष्ट-घ

[देखिये नियम 16 (2)]

क्रम संख्या	पद का नाम	आदेशों का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4
1.	अनुदेशक, लेखा तथा विनियम	(i) पैन्शन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैन्शन की राशी में कमी करना या रोकना	सरकार
2.	खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी/ पशुमेला अधिकारी		
3.	महिला परिमण्डल पर्यवेक्षक	(ii) सेवा के किसी सदस्य को उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति	
4.	अनुसंधान अधिकारी		
5.	अनुदेशक, शिक्षा विस्तार		
6.	अनुदेशक, कृषि तथा फसल पालन		
7.	अनुदेशक,, पंचायती राज		
8.	अनुदेशक, पशु पालन		
9.	अनुदेशिका, गृह विज्ञान तथा विस्तार		

परिशिष्ट-ङ

(नियम 11 में निर्दिष्ट)

विभागीय परीक्षा हेतु नियम

1. खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी/ पशुमेला अधिकारी के लिए विभागीय परीक्षा वर्ष में दो बार अप्रैल तथा नवम्बर महीनों में या ऐसे महीनों में जो अधिसूचित किये जायें, होंगी विभागीय परीक्षा की वास्तविक तिथियां तथा स्थान हरियाणा के राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा।

2. परीक्षा केन्द्रीय परीक्षा समिति, हरियाणा द्वारा आयोजित की जायेगी ।

3. हरियाणा सरकार द्वारा मनोनीत परीक्षक पर्चे बनायेंगे, उत्तरों का परीक्षण करेंगे तथा अंक प्रदान करेंगे।

4. परिक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकायें, सचिव, केन्द्रीय परीक्षा समिति, हरियाणा, द्वारा नियम 3 के अधीन नियुक्त, परीक्षकों को भेजी जायेंगी। परीक्षक उत्तर पुस्तिकायें अंकों सहित मोहरबन्द कवर में सचिव, केन्द्रीय परीक्षा समिति, हरियाणा को परीक्षा समाप्ति की तिथि से दो सप्ताह के भीतर भेजेंगे। सचिव अंक सूचियों में परीक्षकोंके नाम दर्ज करेगा और उन्हें सचिव, विकास एवं पंचायत को भेजेगा जो परीक्षा के परिणामों का संकलन करेगा।

5. प्रत्येक परीक्षा के बाद सफल परीक्षार्थी के नाम हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

6. परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए परीक्षार्थी के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त करने आवश्यक होंगे :—

विषय	न्यूनतम अंक
ग्रुप I (पर्चा क)	50 प्रतिशत
ग्रुप I (पर्चा ख)	50 प्रतिशत
ग्रुप II	60 प्रतिशत
ग्रुप III	50 प्रतिशत

7. विभागीय परीक्षा के लिए निम्नलिखित विषयों में से एक पर्चा 100 अंक तीन घण्टे के समय का होगा :—

ग्रुप I (पर्चा क)

(क) हरियाणा की चालू पंचवर्षीय योजना का विकास कृषि तथा सहकारिता अध्याय 1 (20 जमा 5 जमा 5 = 30)

(ख) (i) सामुदायिक विकास पर डा० डी० एन० समिगेल का गाईड।

(ii) सामुदायिक विकास संगठन पंजाब द्वारा जारी की गई सामुदियाक विकास निदेशका।

(iii) सामुदायिक विकास मन्त्रालय द्वारा निम्नलिखित विषयों पर जारी निर्देशिकायें :—

(क) कृषि

(ख) स्वास्थ्य

(ग) समाज शिक्षा

(घ) संचार

(ङ) ग्राम स्तरीय कर्मचारियों के लिए निदेशिका 50

(ग) (i) खण्डों के लिए खण्ड एवं जिला स्तर कार्यक्रम योजना का तालमेल

(ii) खण्ड के कार्य का मूल्यांकन 20

100

पर्चा - ख

(क) नीचे टिप्पणी में दी गई शर्त के अधीन सभी विकास विभागों के राज्य पंचवर्षीय योजना स्कीम के जरुरी पहलू :—

टिप्पणी : कृषि तथा सहकारिता शीर्षों के अधीन योजना की केवल निम्न स्कीमें सम्मिलित की जायेंगी :—

क — ग्रामीण विकास

1. 20 सूत्रीय कार्यक्रम
1. अधिशेष भूमि के समनुदेशितायों को वित्तीय सहायत की स्कीम,
2. एन० आर० ई० पी० (राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम)
3. आर०एल०इ०जी०पी० (ग्रामीण भूमिहीन नियोजन गारन्टी) कार्यक्रम जिसमें इन्दिरा वास योजना तथा ग्रामीण सफाई कार्यक्रम सम्मिलित हैं।
4. समान (मैचिंग) अनुदान स्कीम।
5. राजस्व उपार्जन स्कीम के अधीन पंचायतों समितियों को वित्तीय सहायता।
6. सामाजिक वन विज्ञान।
7. आई०आर०डी०पी० (एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम)
8. कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा डी०डी०पी०ओ०, डी०पी०ए०पी० जैसे अन्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम।
9. आई०सी०डी०पी० (एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम)। 30

ख — कृषि

1. खाद का वितरण तथा स्थानीय खाद साधनों का बढ़ाना।
2. फलों तथा सब्जियों को बढ़ाने के लिए एकीकृत स्कीम।
3. हरियाणा के चुने हुए क्षेत्र में सब्जियों की खेती को बढ़ाना।
4. राज्य में भूमि अनुकूलक (जिपसम) का प्रयोग।
5. कृषि तथा ग्रामीण आर्थिकता के विभिन्न पहलुओं के आंकड़ों की गुणवत्ता, व्याकुता तथा समयोचिकता को सुधारना।
6. प्रयुक्त आहार कार्यक्रम।
7. कृषि उद्योग निगम।
8. जुई, लोहारू तथा गुड़गावां नहरों तथा नारायणगढ़ क्षेत्रों में नये सिंचित क्षेत्रों में कृषि विकास (क्षेत्रिय निकास) के लिए स्कीम।
9. लघु सिंचाई इकाईयों को आर्थिक सहायता देने के लिए स्कीम।
10. भू-संरक्षण।
11. कृषि भूमि पर भू-संरक्षण तथा जल सम्बंधी प्रबंध।
12. किसानों को प्रशिक्षण तथा शिक्षा। 10

ग—सहकारिता

1. सहकारिता के सिद्धांत-आर्थिक संगठन के रूप में सहकारिता की प्रमुख विशेषताए जो गैर-सरकारी तथा लोक उद्यम से भिन्न है- आन्योलन के विभिन्न पहलुओं में हाल ही में हुआ विकास- अखिल भारतीय ग्रामीण उधार पुनरीक्षण समिति।
2. फसल कर्जा पद्धति.— इस की अनिवार्य विशेषताएं :—
   चैक पद्धति द्वारा अल्प अवधि कर्जो का वितरण, सदस्यों की अधिकतम उधार सीमा का नियतन के विपणन साथ उधार को जोड़ना—भू-राजस्व के बकायों के रूप में सहकारी बकायों की वसूली।
3. दूध प्रदाय सोसायटियां.— आय के अनुरूप साधनों को उपलब्ध कराने में उनका महत्व — उनका संगठन तथा कृत्य।
4. विपणन सोसायटियां— विभिन्न कृषि निदेशों को उपलब्ध कराने तथा फसलों के विपणन में उनकी भूमिका।
5. (क) सहकारी विधि संगठन तथा सोसायटियों का रजिस्ट्रीकरण, सोसायटियों के सदस्य बनाने के लिए पात्र व्यक्ति, उपविधियों का संशोधन, समितियों के चुनाव, नाम निर्देशन तथा अधिक्रमण का प्रबंध करना। 10
   (ख) विकास विभाग पंजाब द्वारा जारी की गई खण्ड विकास कार्यालय निर्देशिका जिससे महत्वपूर्ण नीति आनुदेश सम्मिलित हैं।
   (ग) ग्राम उद्योगों पर खादी आयोग को दस्त पुस्तिका का अध्याय 4 10

100

ग्रुप-II

बजट तथा लेखे

(क) समय समय पर यथा संशोधित पंजाब सिविल सेवा नियम जिल्द भाग-I के अध्याय I, II, III, IV, VII, तथा अध्याय VIII के नियम 8.1, 8.4, 8.9, 8.13 से 8.20, 8.25, 8.26, 8.31, 8.36, 8.37, 8.42 से 8.47, 8.113 से 8.120, 8.133 से 8.140 तथा अध्याय 9 के नियम 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.8, 9.10 से 9.12, 9.18, 9.20 तथा अध्याय XV) केवल वे मदें जो पूर्वगामी नियमों के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों से सम्बंधित हों । 25

(ख) पंजाब सिविल सेवा नियम, खण्ड III (यात्रा भत्ता नियम)। 15

(ग) अध्याय-II सिवाय नियम 2.12 से 2.19, 2.36, 12.37 तथा अनुबन्ध ग के (अध्याय-5 के नियम 5.15, 5.3, 5.6, 5.7 तथा 5.13, अध्याय-6 के नियम 6.1, 6.2, अध्याय हो VII) सिवाय नियम 7.5 से 7.10, (अध्याय VIII, XVIII) तथा XIV) केवल वे मदें जो पंजाब वित्तीय नियम खण्ड-I के पूर्वगामी नियमों के अधीन प्रत्यायोजित व्यक्तियों से सम्बंधित हैं।

(घ) पंजाब बजट निदेशिका (प्रथम संस्करण), 1966 के अध्याय 10, 11 तथा 12 ।

(ङ) यथा संशोधित पंजाब पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961, तथा उसके अधीन बनाए गए निम्नलिखित नियम :—

(i) पंजाब पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (सामान्य) वित्तीय बजट, लेखा तथा लेखा परीक्षा नियम, 1964।

(ii) समय समय पर यथा संशोधित पंजाब समिति तथा जिला परिषद् गैर सरकारी सदस्य (भत्तों का भुगतान) नियम, 1965।

(iii) पंजाब पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सम्पत्ति तथा लोक स्थानों का विक्रय पट्टा तथा अन्य संक्रामण नियम 1964।

.. 30

100

ग्रुप-III

कानूनी अधिनियम तथा नियम

कृषि

1.— 1 यथासंशोधित पूर्वी पंजाब खेतों नाशीकीट, रोग तथा हानिकारक घास-पात अधिनियम, 1949।

2. यथा संशोधित पूर्वी पंजाब खाद संरक्षण अधिनियम, 1949।

3. यथा संशोधित हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973। 30

स्वास्थ्य

1. यथा संशोधित खाद्य उपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954। 10

पंचायतें

1. यथा संशोधित पंजाब पंचायत समिति अधिनियम, 1961, तथा इसके अधीन बनाए गए नियम।

2. यथा संशोधित पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 तथा इसके अधीन बनाए गए नियम।

3. यथा संशोधित हरियाणा पशु मेला अधिनियम, 1970 तथा इसके अधीन बनाए गए नियम।

4. यथा संशोधित ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 तथा इसके अधीन बनाए गए नियम।
40

उद्योग

राज्य उद्योग सहायता अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियम।
.. 10

प्रकीर्ण

यथा संशोधित अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955। .. 10

100

एल०एम० गोयल,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग, हरियाणा।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 17th October, 1988

No. G.S.R. 77/Const./Art. 309/88.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Development and Panchayats Department (Group-B) Service, namely :—

PART I—GENERAL

Short title.

1. These rules may be called the Haryana Development and Panchayats Department (Group-B) Service Rules, 1988.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission ;

(b) "Direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the serive of the Government of India or any State Government ;

(c) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;

(d) "recognised university" means,—

(i) any university incorporated by law in India ; or

(ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15thAugust, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University ; or

(iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules ;

(e) "Service" means the Haryana Development and Panchayats Department (Group-B) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Member and Character of posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reduction in the number of such posts or to

create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to the Service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless be is :—

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or

(e) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificates from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are un-connected with his university, college, school or institutions.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than twenty-one years or more than [1][thirty five years] of age, on the last date of submission of application to the Commission.

Appointing authority.

6. Appointments to any posts in the Service shall be made by the Government.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment :

---

1. No. GSR/65/Const./Art. 309/91 dt. 1-10-1991.

Provided that in the case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen and Physically Handicapped candidates, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person ; shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made,—

(a) in the case of Instructor Accounts and Departmental Regulations by transfer from amongst the Assistant Accounts Officers of the Finance Department, Haryana.

(b) in the case of Block Development and Panchayat Officers/Cattle fair Officers,—

(i) 50% by direct recruitment ; and

(ii) 50% by promotion as under :—

(a) 33% by promotion from amongst Social Education and Panchayat Officers ;

(b) $4^{1}/_{2}$% by the promotion from amongst Head Clerks working in the office of Block Development and Panchayat Officers ;

(c) 1% by promotion from amongst Head Clerks working in the office of District Development and Panchayat Officers ;

(d) 10% by promotion from amongst Accountants working in the office of Block Development and Panchayat Officers ; or

(e) $1^{1}/_{2}$% by promotion from amongst Accountants working in the office of District Development and Panchayat Officers ;

(iii) By transfer or deputation of an official already in the Service of any State Government or the Government of India ;

(c) in the case of Lady Circle Supervisors,—

(i) by promotion from amongst Mukhya Sevika ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(d) in the case of Research Officer,—

(i) by promotion from amongst Investigators ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(e) in the case of Instructor Extension Education,—

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(f) in the case of Instructor Agriculture and Crop Husbandry,—

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(g) in the case of Instructor Panchayati Raj,—

(i) by direct appointment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(h) in the case of Instructor Animal Husbandry,—

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(i) in the case of Instructress, Home Science and extension,—

(i) by direct appointment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(2) Appointment, to any post in the Service, by promotion shall be made on the basis of seniority-cum-merit and no person shall be entitled to claim promotion on the basis of seniority alone.

(3) As and when any vacancy occurs or is about to occur, unless otherwise provided, the appointing authority shall determine the method by which the same shall be filled in.

Training.

10. Every Block Development and Panchayat Officer/Cattle Fair Officer Appointment by direct recruitment shall be required to undergo training as follows :—

(a) he will receive training upto a period of two months and he would be posted as Additional Block Development and Panchayat Officer in a Block with a view to understand the working of the block prior to his independent posting in a block ;

(b) he will receive training upto a period of two months during the course of his service at the State Community Development Training Centre, Nilokheri ;

(c) he shall also be attached with the District Development and Panchayat Officer (Office of the Deputy Commissioner) for 45 days for receiving training in different matters pertaining to the Development Department and will also be attached with the Tehsildar of the District headquarters for another 15 days for receiving training in revenue matters particularly about panchayat land.

Departmental Examination.

11. (1) Every Block Development and Panchayat Officer/Cattle Fair Officer shall within two years from the date of his appointment to the Service pass the departmental examination as specified in Appendix E appended to these rules.

(2) If any Block Development and Panchayat Officer/Cattle Fair Officer fails to pass the departmental of examination within the prescribed period of two years, his services shall be terminated or he shall be reverted to his former appointment, if any :

Provided that the Government may for reasons to be recorded in writing extend the period for passing the departmental examination by one year :

Provided further that the Government may exempt any Block Development and Panchayat Officer/Cattle Fair Officer from so passing the whole or any part of the departmental examination.

(3) If a Block Development and Panchayat Officer/Cattle Fair Officer does not pass the departmental examination within the prescribed period of two years, from the date of his appointment, he shall be entitled to get two increments, including those already earned by him, from the date, if any, following the last day on which the departmental examination is complete. He shall not be entitled to get the third increment.

(4) In case a Block Development and Panachayat Officer/ Cattle Fair Officer is allowed extension in the period within which the said examination is required to be passed his next increment(s) for the period subsequent to that within which the departmental examination was to be passed, shall be released only from the date following the last day on which the examination is completed. The increment shall be released with restrospective effect from the date it was otherwise due but no arrears shall be paid for the past period.

(5) If he fails to pass the departmental examination, or any part thereof, and is subsequently exempted by the Government from passing the departmental examination or any part thereof, as the case may be his increment(s) for the period subsequent to that within which the departmental examination was to be passed, shall be released from the date he is given such exemption. The increment shall be released with retrospective effect from the date it was otherwise due but no arrears shall be paid for the past period.

(6) Further increment(s) will normally be admissible on the date on which they would have become otherwise due.

Probation.

12. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if apppointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise :

Provided that—

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service may in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing Authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services ; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and condictions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of period of probation of a person, the appointing authority may,—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against, a temporary vacancy ; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or

(b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory,—

(i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit ; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

13. Seniority, *inter se,* of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the Service, the the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;

(c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment ; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

14. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under,—

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal Corporation or a local authority or university within the State of Haryana ;

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve under the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave, Pension and other matters.

15. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules the mambers of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, Penalties and appeals.

16. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The Authority competent to pass an order under clause (C) of clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules 1987 and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

17. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated if any when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

18. Every member of Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

19. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special Provisions.

20. Notwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservation.

21. Nothing contained in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time :

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty percent, at any time.

Repeal and savings.

22. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules is hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX-A

(*See* rule 3)

Serial No.	Designation of Posts	Number of Posts			Scale of Pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Instructor Accounts and Departmental Regulations	—	1	1	Rs. 2,000—60—2,300—EB—75—3,200
2	Block Development and Panchayat Offcer/Cattle Fair Officer	81	23	104	Rs. 1,640—60—2,600—EB—75—2,900
3	Lady Circle Supervisor	4	—	4	Rs. 1,640—60—2,600—EB—75—2,900
4	Research Officer	1	—	1	Rs. 1,640—60—2,600—EB—75—2,900
5	Instructor Extension Education	—	1	1	Rs. 1,640—60—2,600—EB—75—2,900
6	Instructor Agriculture and Crop Husbandry	—	1	1	Rs. 1,640—60—2,600—EB—75—2,900
7	Instructor Panchayati Raj	—	2	2	Rs. 1,640—60—2,600—EB—75—2,900
8	Instructor Animal Husbandry	—	1	1	Rs. 1,640—60—2,600—EB—75—2,900
9	Instructoress Home Science and Extension	—	1	1	Rs. 1,640—60—2,600—EB—75—2,900

APPENDIX-B

(*See* Rule 7)

Serial No.	Designation of Posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Instructor Accounts and Depatmental Regulations	. .	(i) Graduate, (ii) Five years' experience as Assistant Accounts Officer.
2	Block Development and Panchayat Officer/Cattle Fair Officer	Through a competetive examination as specified in the Punjab Civil Services (Executive Branch) Rules, 1930	(i) Graduate ; (ii) Ten years' expereicne as Social Education and Panchayat Officer or Head Clerk of Accountant. (iii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard.
3	Lady Circle Supervisor	. .	(i) Five years' experience as Mukhya Sevika ; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard.
4	Research Officer	. .	(i) Five years' experience as Investigator. (ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard.
5	Instructor Extension Education	(i) M.Sc. Agriculture or M.Sc. Animal Husbandry or M.V.S.C. of a recognised university. (ii) Three years' experience in teaching or research or field works in extension education. (iii) Rural background ; (iv) Knowledge of Hindi upto Matric standard *Note.*—Preference shall be given to persons who are M.Sc. in extension education of a recognised university.	(i) M.Sc. Agriculture or M.Sc. Animal Husbandry or M.V.S.C. of a recognised University. (ii) Three years' experience in teaching or research or field works in extension ; (iii) Rural background ; (iv) Knowledge of Hindi upto Matric standard.

1	2	3	4
6	Instructor Agriculture and Crop Husbandry	(i) M.Sc. Agriculture of a recognised university ;	(i) M.Sc. Agriculture of a recognised university ;
		(ii) Three years' experience of teaching or research or extension in agronomy ;	(i) Three years' experience of teaching or research or extension in agronomy ;
		(iii) Rural background ;	(iii) Rural background ;
		(iv) Knowledge of Hindi upto Matric standard	(iv) Knowledge of Hindi upto Matric standard.
7	Instructor Panchayati Raj	(i) Graduate of a recognised university ;	(i) Graduate of a recognised university ;
		(ii) Three years' teaching experience in Community Development and Panchayati Raj Institutions ;	(ii) Three year's teaching experience in Community Development and Panchayati Raj Institutions ;
		(iii) Rural background ;	(iii) Rural background ;
		(iv) Knowledge of Hindi upto Matric standard	(iv) Knowledge of Hindi upto Matric standard.
		Note.—Candidate claiming Qualification of Hindi upto Matric standard but not furnishing proof in support thereof will be required to pass the Hindi examination of Matric standard to be conducted by the Commission, before interview.	
8	Instructor Animal Husbandry	(i) M.Sc. Animal Husbandry or MVSC or M.Sc. Agriculture of a recognised university ;	(i) M.Sc. Animal Husbandry or MVSC or M.Sc. Agriculture of a recognised university ;
		(ii) Three years' experience in teaching or Research or Extension in Animal Husbandry ;	(ii) Three years' experience in teaching or Research or Extension in Animal Husbandry ;
		(iii) Rural background ;	(iii) Rural background ;
		(iv) Knowledge of Hindi upto Matric standard	(iv) Knowledge of Hindi upto Matric standard.
9	Instructress Home Science and Extension	(i) M.Sc. Home Science of a recognised university ;	(i) M.Sc. Home Science of a recognised university ;
		(ii) Three years' teaching experience ;	(i) Three years' teaching experience ;
		(iii) Rural background ;	(iii) Rural background ;
		(iv) Knowledge of Hindi upto Matric standard	(iv) Knowledge of Hindi upto Matric standard.
		Note.—Preference shall be given to persons who have five years' teaching experience.	

APPENDIX-C

[*See* rule 16 (1)]

Serial No.	Designation of Posts	Appointing authority	Nataure of penalty	Authority empowered to impose penalty
1	Instructor Accounts and Departmental Regulations	Government	(1) Minor Penalties— (a) Warnig with a copy in the personal file (Character roll) ; (b) Censure ; (c) Withholding of promotion ; (d) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by neglinence or breach of orders ; (e) Withholding of increments of pay ; (2) Major penalties— (f) Reduction to a lower stage in a time scale of pay ; (g) Reduction to a lower scale of pay grade, post or service ; (h) Compulsory retirement ; (i) Removal from the Service which does not disqualify from future employment ; (j) Dismissal from the service which does ordinarily disqualify from future employment.	Government
2	Block Development and Panchayat Officer/ Cattle Fair Officer			
3	Lady Circle Supervisor			
4	Research Officer			
5	Instructor Extension Education			
6	Instructor Agriculture and Crop Husbandry			
7	Instructor Panchayati Raj			
8	Instructor Animal Husbandry			
9	Instructress Home Science and Extension			

Note.—Aforesaid penalties, shall be as defined in sub-rule (1) of rule 4 of the Haryana Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, 1987.

APPENDIX - D

[*See* rule 16 (2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order
1	2	3	4
1	Instructor Accounts and Departmental Regulations	(i) Reducing or withholding the amount of ordinary or additional Pension admissible under the rules governing pension ;	Government
2	Block Development and Panchayat Officer/Cattle Fair Officer		
3	Lady Circle Superviser		
4	Research Officer	(ii) Terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation	
5	Instructor Extension Education		
6	Instructor Agriculture and Crop Husbandry		
7	Instructor Panchayati Raj		
8	Instructor Animal Husbandry		
9	Instructress Home Science and Extension		

APPENDIX E

(Referred to in Rule 11)

Rules for the departmental examination

1. A departmental examination for the Block Development and Panchayat Officers/Cattle fair officers will be held twice a year in the month of April and November or such other months as may be notified. The exact dates and palce of examination will be notified before hand in the Haryana Government Gazette.

2. The examination will be conducted by the Central Committee of Examination, Haryana.

3. The papers will be set, answers examined and marks awarded by the examiners nominated by the Haryana Government.

4. The answer books of the candidates will be forwarded by the Secretary, Central Committee of Examinations, Haryana to the examiners appointed under rule 3. The examiners will submit under a sealed cover their award of marks, alongwith the answer books in original to the Secretary, Central Committee of Examinations, Haryana, within two weeks from the date on which the examination closes. The Secretary will fill in the names of the examiners in the award statements and forward them to the Secretary, Development and Panchayats who will compile the results.

5. After each examination the names of successful candidates will be published in the Haryana Government Gazette.

6. To pass the examination it will be necessary for a candidate to secure the following **minimum marks in each Subject.**—

Subject	Minimum Marks
Group I (Paper A)	50 per cent
(Paper B)	50 per cent
Group II	60 per cent
Group III	50 per cent

7. A Paper or three hours carrying 100 marks shall be set on each of the following subjects for the departmental examination.

GROUP I

PAPER A

(a) Chapter on Development, Agriculture and Co-operative of current Haryana Five-Year Plan (20+5+5) .. 30

(b) (i) Guide on Community Development by Dr. D. Ensmingel

(ii) Manual of Community Development issued by the Community Development Organisation, Punjab

(iii) Manuals issued by the Ministry of Community Development on the following subjects :—

(a) Agriculture

(b) Health

(c) Social Education

(d) Communication

(e) Manual for Village Level Workers .. 50

(c) (i) Co-ordination on the Block and District Levels Programme Planning for Blocks

(ii) Evaluation of work in the Block .. 20

.. 100

PAPER B

(a) Important aspects of the State's Five Year Plan Schemes of all Development Departments subject to the condition as explained in Note below :—

Note.— Under the heads Agriculture and Co-operation only the following schemes of the plan will be included.

A RURAL DEVELOPMENT

1. 20—Point Programme
2. NREP (National Rural Employment Programme).
3. RLEGP (Rural Landless Employment Guarantee Programme) including Indra Avas Yojna and Rural Sanitation Programmes.

1. A Scheme of financial assistance to assignees of surplus land.

4. Matching Grant Scheme.

5. Financial Assistance to Panchayats/Panchayat Samities under Revenue Earning Scheme.

6. Social Forestry.

7. IRDP (Integrated Rural Development Programme) including TRYSEM & DWACRA..

8. Command Area Development Programme and other area development Programme like DDP, DPAP.

9. ICDP (Integrated Child Development Programme) .. 30

B—AGRICULTURE

1. Distribution of fertilizers and intenstification of local Manuria resources.

2. Integrated scheme for the Intensification of fruits and vegetables.

3. Intensification of vegetables cultivation in selected areas or Haryana.

4. Use of Soil Conditioner (Gypsum) in the State.

5. Improving the quality, comprehensiveness and timeliness of Statistics on various aspects of Agricultural land Rural economy.

6. Applied Nutrition Programme.

7. Agro-Industries Corporation.

8. Scheme for Agriculture Development (Area Development) in newly irrigated areas on Jui, Loharu and Gurgaon Canals and Naraingarh areas.

9. Scheme for the grant of subsidy on Minor Irrigation units.

10. Soil Conservation.

11. Soil Conservation and Water Management on Agricultural lands.

12. Training and Education of Farmers. .. 10

C—COOPERATION

1. Principles' of Cooperation-Characteristic features of Cooperation as form of economic organisation, as distinguished from private and public enterprise. Recent development in different aspects of the movement—All India Rural Credit Review Committee.

2. Crop loan System, its essential features—disbursement of short term loans through cheque system, fixation of M.C.L. of members, linking of Credit with marketing- recovery of Co-operative dues as arrears of land revenue.

3. Milk supply societies—their importance in providing supplementary sources of income—their organisations and functions.

4. Marketing societies, their role in providing various Agricultural in-puts and marketing of crops.

5. Co-operative Law Organisation and registration of Societies, persons eligible to become members of Societies Amendment of by-laws, managing of committees election, nomination and suspension .. 10

(b) Block Development Office Manual issued by the Development Department, Punjab, including important policy instructions .. 40

(c) Chapter 4 of the Khadi Commission Hand Book on Village Industries .. 10

.. 100

GROUP II

BUDGET AND ACCOUNTS

(a) Chapter I, II, III, IV, VII and rules 8.1, 8.4, 8.9, 8.13, to 8.20, 8.25, 8.26, 8.31, 8.36, 8.37, 8.42 to 8.47, 8.113 to 8.120, 8.133 to 8.140 of chapter VIII and rules 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.8, 9.10 to 9.12, 9.18, 9.20 of Chapter IX and Chapter XV (only items relating to the powers delegated under the foregoing rules) of the Punjab Civil Services Rules Vol. I, Part I, as amended from time to time. .. 25

(b) Punjab Civil Services Rules, Volume III (Travelling Allowance Rules) .. 15

(c) Chapter II (except rules, 2.12 to 2.19, 2.36, 2.37 and Annexure 'C') Rules 5.15, 5.3, 5.6, 5.7 and 5.13 of Chapter V, Rule 6.1, 6.2 of Chapter VI, Chapter VII (except Rule 7.5 to 7.10) Chapter VIII, XVIII and XIV (only items relating to the powers delegated under the foregoing rules of the Punjab Financial Rules, Vol. I) .. 15

(d) Chapter 10, 11 and 12 of the Punjab Budget Manuals (First Edition), 1966 .. 15

(e) Punjab Panchayat Samities and Zila Parishads Act, 1961 as amended and the following rules made thereunder :—

(i) Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (General) Financial Budget, Accounts and Audit Rules, 1964.

(ii) Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Non-Official members (Payment of Allowances) Rules, 1965 as amended from time to time.

(iii) Punjab Panchayats Samities and Zila Parishads (Sales, lease and other alientation of property and public places) Rules, 1964 .. 30

.. 100

GROUP III

Statutory Acts and Rules—

AGRICULTURE

1. The East Punjab Agriculture Pests, Disease and Noxious Weeds Act, 1949, as amended.
2. The East Punjab Conservation of Manure Act, 1949, as amended.
3. The Haryana Municipal Act, 1973, as amended .. 30

HEALTH

1. The Prevention of Food Adulteration Act, 1954 as amended .. 10

PANCHAYATS

1. The Punjab Panchayats Samities Act, 1961, as amended and rules framed thereunder.
2. The Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961, as amended and Rules framed thereunder.
3. The Haryana Cattle Faris Act, 1970, as amended and Rules framed thereunder.
4. The Gram Panchayat Act, 1952, as amended and Rules framed thereunder .. 40

INDUSTRIES

State Aid to Industries Act and Rules framed thereunder .. 10

MISCELLANEOUS

The Untouchability (Offences) Act, 1955 as amended .. 10

.. 100

L. M. GOYAL,
Secretary to Government Haryana,
Development and Panchayats Department.

भाग-III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 सितम्बर, 2002

संख्या सा० का० नि० 15/संवि०/अनु०309/2002.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1988, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2002, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1988 में, परिशिष्ट ङ में, ग्रुप I,II तथा III तथा उसके नीचे प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित ग्रुप तथा उसके नीचे प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"ग्रुप-I

पर्चा क

विकास तथा आयोजना

(क) हरियाणा की चालू पंच वर्षीय योजना का ग्रामीण विकास, कृषि बागवानी, वन, समाज कल्याण तथा गैर परम्परागत ऊर्जा पर अध्याय = 30

(ख) (1) भारत में ग्रामीण विकास में प्रयोग।

(2) भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसकी धारणा, दर्शनशास्त्र, प्रगति सम्भावनाओं तथा उद्देश्यों का पुनर्विलोकन।

(3) विकास तथा पंचायत विभाग, हरियाणा द्वारा जारी सामुदायिक विकास निदेशिका।

(4) निम्नलिखित विभागों की मुख्य स्कीमें :—

(क) साक्षरता सहित शिक्षा

(ख) कृषि

(ग) समाज कल्याण

(घ) वन

(ङ) गैर परम्परागत ऊर्जा

(च) पशु पालन = 50

(ग) (1) ग्राम, खण्ड तथा जिला स्तरीय आयोजना की धारणा, क्षेत्र की व्यवस्था और तकनीकें, आयोजना के उद्देश्य, स्थानीय संसाधनों का उपयोग और लोगों की भागीदारी। = 50

(2) ग्रामीण विकास से सम्बद्ध विभिन्न विभागों और संस्थाओं के बीच तालमेल और सभी तीनों स्तरों पर सरकारी तथा गैर-सरकारी कर्मचारियों के बीच तालमेल की धारणा। = 20

= 100

पर्चा-ख

ग्रामीण विकास

क— ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(क) (1) 20 सूत्री: कार्यक्रम

(2) कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा मरुथल विकास कार्यक्रम/डी०पी०ए०पी० जैसे अन्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(3) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

(4) इंदिरा आवास योजना

(i) नव निर्माण

(ii) मकानों का दर्जा बढ़ाना

(5) एकीकृत बंजर भूमि, विकास परियोजनाएं

(6) हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अधीन स्कीमों का कार्यान्वयन

(7) वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान

(8) समान (मैचिंग) अनुदान

(9) राजस्व उपार्जन स्कीम के अधीन पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् को वित्तीय सहायता

(10) ग्रामीण सफाई कार्यक्रम

(11) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०एस०)

(12) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोज़गार योजना

(13) सुनिश्चित रोज़गार योजना(ई०ए०एस०) = 50

ख-कृषि

(1) राज्य में भूमि अनुकूलक (जिपसम) का प्रयोग

(2) कृषि भूमि पर भू-संरक्षण तथा जल प्रबंध

(3) किसानों का प्रशिक्षण तथा शिक्षा

(4) हरियाणा में बदलती फसल पद्धति

(5) हरियाणा में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें अर्थात् गेहूं, चना, मक्की, कपास, बाजरा, तिलहन, दालें, गन्ना और धान आदि। = 10

ग-सहकारिता

(1) सहकारिता के सिद्धान्त, आर्थिक संगठन के रूप में सहकारिता की मुख्य विशेषताएं, जो निजी तथा लोक उद्यम से भिन्न हैं—आन्दोलन के विभिन्न पहलुओं में हाल ही में हुआ विकास-अखिल भारतीय ग्रामीण उधार पुनरीक्षण समिति।

(2) फसल कर्जा पद्धति, इसकी अनिवार्य विशेषताएं—

चैक पद्धति द्वारा अल्प अवधि कर्जा का वितरण, सदस्यों की एम० सी० आई० का नियतन, विपणन के साथ उधार को जोड़ना, भू-राजस्व के बकायों के रूप में सहकारी बकायों की वसूली। ग्रामीण दस्तकारों व छोटे दुकानदारों को कारोबार करने के लिए कर्जा देना व बेरोजगारों की छोटी व ग्रामीण उद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए कर्जा देना।

(3) दूध प्रदाय सोसायटियां, आय के अनुपूरक साधनों को उपलब्ध कराने में उनका महत्व-उनकी व्यवस्था तथा कृत्य।

(4) विपणन सोसायटियां विभिन्न कृषि निवेशों को उपलब्ध कराने में उनकी भूमिका तथा फसलों का विपणन व भण्डारण व प्रोसैसिंग करना। = 10

घ-कार्य चार्ट

(1) खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी

(2) समाज शिक्षा तथा पंचायत अधिकारी

(3) ग्राम सचिव

(4) इंजीनियरिंग विंग सहित अन्य खण्ड कृत्याकारी = 20

ङ

(1) खादी आयोग का अध्याय IV

(2) ग्रामोद्योगों पर हस्त पुस्तिका = 10

= 100

ग्रुप-II

बजट तथा लेखे

(क) समय-समय पर यथा संशोधित पंजाब सिविल सेवा नियम जिल्द-I, भाग-I के अध्याय I, II, III, IV, V, VII, और अध्याय VIII के नियम 8.1, 8.4, 8.9, 8.13 से 8.20, 8.25, 8.26, 8.31, 8.36, 8.37, 8.42 से 8.47, 8.113 से 8.120, 8.133 से 8.140 तथा अध्याय XV के नियम 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.8, 9.10 से 9.12, 9.18, 9.20 (केवल वे मदें दो पूर्वगामी नियमों के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों से सम्बन्धित हैं)। = 25

(ख) हरियाणा सिविल सेवा नियम, जिल्द- III (यात्रा भत्ता नियम)। = 20 = 20

(ग) अध्याय-II (नियम 2.12 से 2.19, 2.36, 2.37 तथा अनुबन्ध ग को छोड़कर), अध्याय-V के नियम 5.15, 5.3, 5.6, 5.7 तथा 5.13, अध्याय VI के नियम 6.1, 6.2 अध्याय VII (नियम 7.5 से 7.10 को छोड़कर), अध्याय VIII, XVIII तथा XIV (केवल वे मदें जो पंजाब वित्त नियम जिल्द-I के पूर्वगामी नियमों के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों से सम्बन्धित हैं। = 15

(घ) पंजाब बजट निदेशिका (प्रथम संस्करण), 1966 के अध्याय 10,11 तथा 12। = 20

(ङ) हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा परीक्षा, कराधान तथा संकर्म नियम, 1996। = 20

= 100

ग्रुप - III

कानूनी अधिनियम तथा नियम

सहबद्ध अधिनियम

1. यथा संशोधित हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24), तथा उसके अधीन बनाए गए नियम।

2. हरियाणा लोक परिसर और भूमि (बेदखली तथा किराया वसूली) अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम 24)।

3. हरियाणा भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम 26)।

4. पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का अधिनियम 17)।

5. पंजाब अभिधृति अधिनियम, 1887 (1887 का अधिनियम 16)।

6. उत्तरी भारत नौघाट अधिनियम, 1878 (1878 का अधिनियम 17)।

7. पंजाब भूधृति सुरक्षा अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम 10)। = 30

पंचायतें

1. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 11)

2. हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995

3. हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994

4. यथा संशोधित पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम 18), तथा इसके अधीन बनाए गए नियम।

5. यथा संशोधित हरियाणा पशु मेला अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम 30), तथा इसके अधीन बनाए गए नियम।

6. हरियाणा ग्रामीण विकास निधि अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम 12) । = 60

विविध

1. हरियाणा दण्ड तथा अपील नियम, 1987।

2. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 22), नियमों के साथ। = 10

= 100 ।" ।

बीरबल दास ढालिया,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

भाग-IV

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

शुद्धि-पत्र

दिनांक 22 जनवरी, 2003

हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) विधायी परिशिष्ट, भाग III, दिनांक 3 सितम्बर, 2002 में प्रकाशित, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 15/संवि/ अनु 309/2002, दिनांक 3 सितम्बर, 2002 में, मूल हिन्दी पाठ में, हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप-ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2002 में, नियम 2 में, —

(i) ग्रुप I, पर्चा क, विकास तथा आयोजना शीर्ष में, खण्ड (ग) में, उप खण्ड (I) के सामने, "=50" का लोप कर दिया जाएगा।

(ii) ग्रुप II, बजट तथा लेखे शीर्ष में, खण्ड (ड़) के सामने प्रविष्टियों में, "1996" के स्थान पर, "1966" पढ़ा जाए।

(iii) ग्रुप III, कानूनी अधिनियम तथा नियम शीर्ष में, विविध उप शीर्ष में, क्रम संख्या 2 के सामने प्रविष्टि में, "1995" के स्थान पर, "1955" पढ़ा जाए।

बीरबल दास ढालिया,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

28 मार्च, 1988

संख्या सा० का० नि० 29/संवि०/ अनुच्छेद 309/88.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्.—

भाग-I- सामान्य

संक्षिप्त नाम।

1. ये नियम हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 1988, कहे जा सकते है।

परिभाषा।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(ग) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार,

(घ) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में, पंजाब सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय घोषित किया गया हो,

(ङ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप ख) सेवा।

भाग-II-सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में बताये गये पद होंगे :—

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पद नामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्न लिखित न हो :—

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, युगांडा तथा तनजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मलावी, जायेर और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित हो कर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिस के पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र और दो ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हो, किन्तु उसके वयक्तिगत जीवन में उससे भली-भांती परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो आयोग को आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को इक्कीस वर्ष से कम और तीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेंगी।

प्राधिकारी अर्हताएं।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से भिन्न भर्ती की दशा में, पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जाएगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शरीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।

निर्हताएं।

8. कोई भी व्यक्ति, —

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है, या विवाह की संविदा कर ली है;

सेवा में किसी भी पद का नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्न प्रकार से की जायेगी, —

(क) अतिरिक्त निदेशक पंचायत की दशा में,

(i) संयुक्त निदेशक विकास में से पदोन्नति द्वारा, या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा :

(ख) कार्यकारी अभियन्ता, पंचायती राज की दशा में, —

(i) 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा, तथा

(ii) 50 प्रतिशत पद उप मण्डल अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा, या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) संयुक्त निदेशक, विकास की दशा में, —

(i) उप-निदेशक पंचायत मे से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(घ) प्रधानाचार्य, राज्य सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केन्द्र की दशा में, —

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारियों में से या सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केन्द्र के अनुदेशकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ङ) निदेशक महिला कार्यक्रम की दशा में, —

(i) महिला परिमण्डल पर्यवेक्षकों में से पदोन्नति द्वारा, या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(च) उप-निदेशक, पंचायत की दशा में, —

(i) खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(2) सेवा में किसी भी पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर चयन द्वारा की जायेगी और कोई भी व्यक्ति केवल ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिये हकदार नहीं होगा।

(3) ज्यों ही कोई रिक्ति हो या होने वाली हो, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, नियुक्ति प्राधिकारी यह निश्चित करेगा कि उसे किस प्रकार से भरा जायेगा।

परिवीक्षा।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की और गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की निर्धारित विहित अवधि के पूरा होने पर यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो, तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है, या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्त के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार हो।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है, या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति से कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार हो, या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी:

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हैं, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिए ज्येष्ठता पृथक रूप से निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यता क्रम को भंग नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किये गये सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किये गये सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में, ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरण किए गए थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल की भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य आयु में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा, ;-

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है , —

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; या

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय की सेवा के अधीन प्रतिनियुक्ति नहीं किया जाएगा।

छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले।

13. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाये जाएं।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

14. (i) अनुशासन, शक्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा शासित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती है ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट "ग" में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट "घ" में विनिर्दिष्ट है।

टीका लगवान।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा निदेश करे, टीका लगवाएगा तथा पुन: टीका लगवाएगा।

राज निष्ठा की शपथ।

16. सेवा का प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

ढील देने की शक्ति।

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपब्न्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिख कर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध।

18. इन नियमों में दी किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियो के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगी:

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

20. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हों, इसके द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ट -क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	अतिरिक्त निदेशक पंचायत	—	1	1	3000—100—3500—125—5000
2.	कार्यकारी अभियन्ता (पंचायती राज)	1	1	2	3000—100—3500—125—4500
3.	संयुक्त निदेशक विकास	—	1	1	3000—100—3500—125—4500
4.	प्रधानाचार्य, राज्य सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केन्द्र	—	1	1	2200—75—2800—100—4000
5.	निदेशक महिला कार्यक्रम	1	—	1	2000—60—2300ई०बी०—75—3200—100—3500
6.	उप निदेशक पंचायत	1	—	1	2000—60—2300—ई०बी०—75—3200—100—3500

परिशिष्ट -"ख"

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो।	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो।
1	2	3	4
1	अतिरिक्त निदेशक पंचायत	:	सयुक्त निदेशक विकास के तौर पर 3 वर्ष का अनुभव ।
2	कार्यकारी अभियंता (पंचायत राज)	(1) इंजीनियरिंग में उपाधि	(1) सिविल इन्जीनियरिंग में उपाधि या इसके समकक्ष।
		(2) उप मण्डल अधिकारी/सहायक इंजीनियर के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव	(2) उप मण्डल अधिकारी के तौर पर आठ वर्ष का अनुभव।
3	संयुक्त निदेशक विकास	:	(1) उप निदेशक पंचायत के रूप में एक वर्ष का अनुभव।
			(2) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
4	प्रधानाचार्य, राज्य सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केन्द्र	(1) समाज शास्त्र, अर्थ शास्त्र, डेरी विकास, सहकारी कृषि, बागवानी तथा पशु पालन जैसे विज्ञानों में से किसी एक में स्नात्तकोत्तर अर्हता।	पदोन्नति की दशा में—
			(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक ।
		(2) ग्रामीण/ जन-जातीय विकास से संबंधित समस्याओं में अनुसंधान/ क्षेत्र कार्य में सात वर्ष का अनुभव या ग्रामीण विकास विषय से सम्बन्धित समस्याओं के अनुसंधान या क्षेत्रीय अनुभव सहित उपाधि श्रेणियों का अध्यापन अनुभव।	(ii) खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी के रूप में सात वर्ष का अनुभव या सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केन्द्र के अनुदेशक के रूप में 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव।
		(3) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान
			स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की दशा में —
			(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक ।

1	2	3	4
			(ii) राजपत्रित अधिकारी के रूप में दस वर्ष का अनुभव।
			(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
5	निदेशक महिला कार्यक्रम		(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक ।
			(ii) महिला परिमण्डल पर्यवेक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।
			(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
6.	उप निदेशक, पंचायत		(1) खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।
			(2) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।